

12.09.2022:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित।
वकील प्रार्थी का मूल वाद—पत्र खारिज होने के कारण
इस प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रही। अतः
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

